कार्यालयः– अंचल अधिकारी, सिमरिया

–:आदेशः–

विविध वाद सं0–20 / 2024–25

जगदेव साहु, पिता–स्व0 जोधन साव,
मौजा–जबडा, थाना–सिमरिया। ।

बनाम

रामप्रसाद साव, पिता– युगल साव
चन्द्रदेव राय, पिता–जगेश्वर राय,
अमर राय, पिता–प्रमेश्वर राय एवं अन्य
सभी मौजा– जबडा *।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक जगदेव साहु, पिता–स्व0 जोधन साहु, मौजा–जबडा से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ की गई है। आवेदक ने सिमरिया अंचल अन्तर्गत मौजा–जबडा के खाता सं0–46 कुल प्लॉट सं0–06 कुल रकबा–5.23 ए0 भूमि सर्वे खतियान में शिवचरन तेली, पिता–बोधी तेली के नाम से दर्ज है, जिसका जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। मामले की अग्रेतर कार्यवाही एवं दोनों पक्षों को अपना दावा प्रमाणित करने हेतु नोटिस निर्गत की गई। तदनुसार उभय पक्ष उपस्थित हुए। **प्रथम पक्ष–** जगदेव साहु, पिता–स्व0 जोधन साहु, ग्राम–जबडा द्वारा सर्वे खतियान (शिवचरन तेली) के आधार पर अपना दावा पेश किया गया है। उक्त खतियान के आधार पर आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं जिसपर द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है एवं भिन्न–भिन्न कागजात बनाकर उक्त भूमि को बेचा गया है एवं अभी भी दखल–कब्जा में है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि खतियानी भूमि आवेदक द्वारा या उनके पूर्वज द्वारा बिक्री की गई ना हीं प्रश्नगत भूमि निलाम हुआ है या इस्तीफा हुआ है। विपक्षीगण ने कार्यालय को गुमराह कर एवं तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से अवैध जमाबंदी करा लिया है, जो सरासर गलत है। अतः उक्त भूमि पर चल रहे जमाबंदी को रद्द करते हुए खतियानी रैयत के नाम से जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाय।	

Scanned by CamScanner

द्वितीय पक्ष– द्वितीय पक्ष की ओर से चन्द्रदेव राय, पिता–जगेश्वर राय एवं अमर राय, पिता–प्रमेश्वर राय द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि प्रश्नगत भूमि का मेरे पूर्वज के नाम से क्षतिपूर्ति वाद यथा रिटर्न से खाता–46 की भूमि प्रमेश्वर राय, पिता–मंगली राय शर्मा ग्राम–हुंकारखाप को हासिल है, जिसका जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। जिसपर उक्त भूमि पर स्वामित्व है एवं विभिन्न लोगों को भूमि बिक्री की गई है, जिसका दाखिल–खारिज हुआ है एवं दखल–कब्जा भी है।

दोनो पक्षों द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् भूमि सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–जबडा के खाता सं0–46, प्लॉट सं0–7, 53, 737, 949, 1205 एवं 1206 कुल रकवा–5.23 ए0 भूमि सर्वे खतियान में शिवचरण तेली पिता–बोधी तेली के नाम से दर्ज है, जो आवेदक के पूर्वज हैं, जिसका सत्यापन मुखिया द्वारा भी की गई है। वाद की सुनवाई एवं प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से जो तथ्य सामने आये हैं वो निम्नवत् हैः–

1. द्वितीय पक्ष के अमर राय के पिता–प्रमेश्वर राय के नाम से खाता सं0–46 रकवा–5.23 ए0 भूमि रिटर्न से हासिल है।
2. प्रमेश्वर राय वो जागेश्वर राय पिता–मंगली राय शर्मा द्वारा विभिन्न लोगों को केवाला किया गया है।
3. केवाला सं0–3449 दिनांक–30.08.1963 एवं केवाला सं0–691 दिनांक–17.02.1997 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि केवाला में किसी में बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि एवं किसी में जमींदार से प्राप्त भूमि का ब्यान दर्ज है।
4. खाता सं0–46 सर्वे खतियान में शिवचरण तेली, पिता–बोधी तेली, जाति–तेली निवास–देह लगान पानेवाला जगतु सिंह वगै0 दर्ज है, जबकि प्रमेश्वर राय, पिता–मंगली राय शर्मा को रिटर्न भानुप्रताप सिंह वो रासबिहारी सिंह, पिता–जगरनाथ सिंह द्वारा दिया गया है।
5. रैयती भूमि की बंदोबस्ती हुकुमनामा/रिटर्न से कैसे की गई क्या प्रश्नगत भूमि निलाम की गई थी या इस्तीफा दिया गया था? द्वितीय पक्ष इस विषय में कोई राजस्व कागजात या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
6. प्रश्नगत् भूमि हुकुमनामा या रिटर्न से प्रमेश्वर राय, पिता–मंगली राय शर्मा को प्राप्त है, तो भूमि बिक्री जागेश्वर राय द्वारा कैसे की गई एवं लगान रसीद जगेश्वर शर्मा के नाम से कैसे निर्गत कराया गया। इस संबंध में चन्द्रदेव राय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया ना हीं कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया।
7. वित्तीय वर्ष–2005–2006 का लगान रसीद सं0–3460193 दिनांक–01.01.2006 को निर्गत में खाता सं0–46 रकवा–3.30 ए0 भूमि का लगान रसीद निर्गत है, तो वर्ष–2024 के ऑनलाईन पंजी–II में खाता सं0–46 रकवा–3.83 ए0 भूमि दर्ज है।
8. ऑफलाईन रसीद में पंजी–II के पृष्ठ सं0–164/2 का उल्लेख है, लेकिन ऑनलाईन जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0–164/1 पर कायम है जिसमें लगान–0.46 रू0 एवं सेस–0.78 रू0 दर्ज है, एवं परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में पंजी–II के

Scanned by CamScanner

पेज नं0–110/74 पर गया दर्ज है, परन्तु 110/74 ऑनलाईन में दर्ज नहीं है।

9. कार्यालय से नोटिस निर्गत कर द्वितीय पक्ष से 10 वर्षो का लगान रसीद की मांग की गई, परंतु अन्य कोई और लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि रिटर्न से हासिल है, तो इन्हें साक्ष्य में रूप में 1956 से 1983 तक का रसीद प्रस्तुत करना चाहिए था।
10. खाता सं0–46 की भूमि ऑनलाईन खतियान में लगान शून्य है, तो क्या प्रश्नगत भूमि हासिल होने पर जमींदारी उन्मूलन के बाद लगान निर्धारण कराया गया? इस संबंध में भी द्वितीय पक्ष द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध राजस्व कागजातों एवं मूल खतियान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला हक–हकियत है, जिसका निर्णय केवल एक सक्षम न्यायालय हीं कर सकता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है, असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

31/7/25

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

Digitally signed by Gourav Kumar Roy
Date: 2025.10.10 14:50:32 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned by CamScanner